१

पत्रांकः–4 / वन भूमि–17 / 2025.....689.... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

अभय कुमार,
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 12/02/2025

विषय : भारतमाला के परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) कुल 43.85 कि०मी० में पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 88, दिनांक 20.01.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के कंडिका–9 में निहित है कि पथ निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा गैर वन भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण अपवादात्मक परिस्थिति के अनुरूप वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में विभाग से निर्णय की अपेक्षा करते हुए वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव भेजा गया है। विदित हो कि रिट याचिका (सिविल) संख्या–1164 / 2023: अशोक कुमार शर्मा, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका–4 में निम्नवत् निदेश दिया गया है:–

"We make it clear that until further orders, no steps will be taken by the Union of India or any of the States, which will lead to reduction of the forest land unless a compensatory land is provided either by the State Government or the Union of India for the purpose of afforestation."

उपर्युक्त के आलोक में प्रस्ताव मूल रूप में संलग्न वापस किया जा रहा है।

अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त आदेश के आलोक में संशोधित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु०–यथोक्त।

12/2/25

(अभय कुमार)
वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

S.R.L.661

ज्ञापांक :- ए (राज भूमि नि० प्रा०)- 65 ..... / रा०सा०भा०, पटना, दि०, दिनांक

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार)

उप समाहर्ता–सह–विशेष सचिव